ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-2*March- 2018
Innovation The Research Concept

कन्या भ्रूण हत्या – एक सामाजिक अभिशाप

अन्जू
ऐसोसिएट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
दी0 द0 उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

सारांश

कन्या भ्रूण हत्या एक प्रकार की सामाजिक समस्या है जो धन से जुड़ी है लेकिन इसके साथ बहुत से रीति–रिवाज, अभिवृत्तियाँ, तौर–तरीके, व्यवस्थित पूर्वाग्रह संस्थायें और संस्थागत वैचारिकी विभिन्नताऐं समाज में मौजूद है। एक विशेष वर्ग पर हुए अत्याचार एवं पुरुष वर्ग की दोहरी मानसिकता को दोहराते हैं। परिवार में महिलाएं ही महिला की दुश्मन है ऐसी स्थिति में समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा जाए यह विचारणीय है जबकि पुत्रियाँ कही पुत्र से अधिक सबल तथा सम्बल प्रदान करने वाली है। फिर भी उनके साथ उपेक्षित, तिरस्कार पूर्ण व्यवहार क्यों। इस मानसिकता के लिये समाज को शिक्षित एवं जागरूक होना होगा।

स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये है। एक पहिये का भी संतुलन बिगड़ जाने से जीवन की गाड़ी रूक जाती है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है जिसमें स्त्रियों का दायरा बहुत ही संकुचित है। स्त्री को उतने ही हक दिए गये जितने में पुरुष की स्वतंत्रता में कोई खनन नहीं पड़े। एक तरफ हम दुर्गा, लक्ष्मी आदि देवियों की पूजा करते है दूसरे तरफ समाज में स्त्रियों को प्रताड़ित करते है। हमने स्त्रियों को एक मर्यादा के दायरे में बांध के रखा है।

मुख्य शब्द : कन्या भ्रूण हत्या, भारतीय इतिहास, नारी।

प्रस्तावना

"यत्र नार्यस्तु पुज्जन्ते, रमन्ते तत्र देवता"

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता विचरण किया करते है। देवताओं के निवास स्थान को स्वर्ग की संज्ञा दी गई है।

आज भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वर्णकित अपाला, लोपा, गार्गी, मैत्रेयी, विद्योत्मा इत्यादि नाम महिलाओं की आदर्शात्मक छवि को प्रकाशित करते है।

कन्या भ्रूण हत्या विकट सामाजिक समस्या है। बेटो की चाह में हम भ्रूण हत्या जैसी बुराई को बढ़ावा नहीं दे रहे, बल्कि एक राष्ट्रद्रोह भी करते है क्योंकि स्त्री–पुरुष समान रूप से राष्ट्र की उन्नति में सहायक होते हे। इसी के महत्व को देखते हुए माता को बालक के लिये प्रथम शिक्षिका माना गया है। बेटियों को बचाना जरूरी है क्योंकि बेटी है तो कल है। इसके लिये सरकार अनेक योजनाएं चला रही है लेकिन उसके बाद भी शिशु लिंगानुपात में आई गिरावट चिन्ताजनक है।

चीनी लेखक लू शून ने लिखा था, कि जो सभ्यता जितनी प्राचीन होती है वह उतनी ही बर्बर और अमानवीय होती हाती है। महिलाओं के प्रति असमानता और अन्याय इन देशों में बर्बरता की स्थिति तक पहुँच गये है। कन्या भ्रूण हत्या एवं (गर्भ में हत्या) भ्रूण अवस्था में ही कन्याओं की हत्या करना इन देशों में तेजी से बढ़ा है। इससे कई प्रकार की समस्याऐं जैसे महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, बलात्कार, स्त्री–पुरुष अनुपात में अंसतुलन भी तेजी से बढ़े है। सभी समाजों में महिलाओं के श्रम उनके शरीर और सौन्दर्य का जितना अधिक शोषण वैश्वीकरण के दौर में बढ़ा है, उतना इतिहास में कभी भी इतने व्यापक स्तर पर नहीं हुआ।

वैश्वीकरण के दौर ने महिलाओं को व्यक्ति से उपभोग की वस्तु बना डाला है जो लाभ कमाने की प्रक्रिया में तेजी से दिखाई देती है। परन्तु बालिकाओं की जन्म से लेकर मृत्यु तक उपेक्षा करना, उन्हें कुपोषित आहार देना, शिक्षा से वंचित रखना, उन्हें जन्म लेते ही मार देना उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दिखाना जिसके कारण 30 प्रतिशत कन्यायें अपने जीवन का पाँच वर्ष भी नहीं जी पाती और गर्भ में ही लिंग जाँच, करवाकर उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार देना असमानता की पराकाष्ठा है। भारत में प्रति दस वर्ष में 35 से 40

करोड़ कन्याओं को जन्म से पूर्व या जन्म लेने के पश्चात् हत्या कर दी जाती है।

1901 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों के पीछे 972 महिलाऐं थी, 1911 में यह अनुपात 964 हो गया, 1921 में 955, 1981 में 950, 1941 में 945, 1961 में 941 और इसी तरह घटते–घटते 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों के पीछे 927 महिलायें रह गयी है।

2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार देश में पुरुषों की संख्या 51.53 है जबकि स्त्रियों की संख्या 48.46 करोड़ है। इससे स्पष्ट है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 940 है जबकि राज्यवार लिंगानुपात दिल्ली में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 866 है। हरियाणा में 1000 पुरुषों के पीछे 877 स्त्रियाँ है। राजस्थान 1000 पुरुषों के पीछे 926 स्त्रियाँ है। मध्य प्रदेश में 930, उत्तर प्रदेश में 908, चण्डीगढ़ में 818 है। इससे स्पष्ट है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है।

भारत में महिलाओं का घटता लिंगानुपात उस समाज की निम्नतर स्थिति को द्योतक है साथ ही भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में व्याप्त असमानता का भी द्योतक है –

1. हिन्दू संस्कृति के अनुसार कन्या का विवाह और पुत्र की माँ बनना अति आवश्यक है उत्तराधिकार केवल पुत्रों को ही मिलेगा। कन्या को माँ बनकर न तो कही उसे उत्तराधिकार दिला सकती है न वंश चला सकती है, न वंश और पुरखों को मोक्ष दिला सकती है और न ही समाज में सम्मान प्राप्त कर सकती है हिन्दू संस्कृति पिता, पुत्र पर आधारित है, जहाँ सदियों से लड़की को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक दासता की जकड़न में रहना पड़ा हे।
2. स्त्री को बचपन में पिता के अधीन युवास्था में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहकर ही सुख सुरक्षा तथा मोक्ष प्राप्त हो सकता है। (मनुस्मृति)
3. वैश्वीकरण के दौर में अमीर और गरीब की खाई बढ़ी है। भारत में गरीब परिवारों के लिये पुत्र आय का अतिरिक्त 'हैण्ड' है, जीवन बीमा है, जो परिवार को बनाये रखने के लिये कार्य करता है।
4. लड़की एक शोभा होती है जिसके लालन पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह पर किया गया काम ऐसे परिवारों के लिये बहुत बड़ी शोभा होती है। भारत में शिक्षित, शहरी, ग्रामीण सभी क्षेत्रों में पुत्र कामना एवं पुत्र पारित की इच्छा ही कन्या भ्रूण हत्याओं के लिये उत्तरदायी है। हमारी शिक्षा लैगिंग समानता और महिलाओं के मानवाधिकारों की संस्कृति को नहीं विकसित कर पाई है और लिंग जाँच की सभी आधुनिक तकनीकें हिन्दू संस्कृति के उद्देश्य को पूरा करने वाले साधक बनकर रह गये है।
5. शोधों से पता चलता है कि जो जातियाँ पहले दहेज प्रथा से मुक्त थी, उनमें भी यह प्रथा बढ़ती जा रही है। आज भी विवाह विहीन और पुत्र विहीन महिला समाज की दृष्टि में वैश्या, बदचलन, डायन इत्यादि जल्दी बन जाती है। ऐसी महिलाएं समाज में सर्वाधिक असुरक्षित है। इनके विरूद्ध हिंसा, बलात्कार के मामले सर्वाधिक बढ़े है कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह संस्था स्वयं में पितृसत्ता का सबसे बड़ा हथियार है जो महिलाओं के श्रम का शोषण करता है, उसे दासों से भी बदतर नियंत्रण में रखता है, जहाँ उसके भ्रूण की हत्या करने में उसकी असहमति का कोई अर्थ नहीं होता है और समाज निर्णय पितृसत्ता वाली संस्कृति लेती है पर जो व्यक्ति अपनी पुत्री को पर्याप्त दहेज नहीं दे सकता, उसे कर्ज लेकर अपनी क्षमता से अधिक दहेज देने के बावजूद अपनी पुत्री के सुखमय जीवन तो दूर, जीवन की सुरक्षा तक की गारंटी नहीं होती है। बढ़ती दहेज हत्यायें यही बताती है, कि इस बढ़ते उपभोक्तावादी संस्कृति और बेरोजगारी वाले युग में दहेज की माँग अनंत है और जो एक बार या बार–बार इन माँगों को पूरा करने में असमर्थ है, उसकी पुत्री की मृत्यु अनिवार्य है, चाहे कुपोषण से, चाहे जलने या हत्या से। हिन्दू लॉ ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी (विवाह) करने की अनुमति दे देता है। अतः जो महिला पुत्र की जगह पुत्री को जन्म देती है और दहेज की माँग पूरी नहीं करती उसे अपने स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन से पूर्व ही मृत्यु को गले लगाना पड़ता है। यह बढ़ती संस्कृतिक बर्बरता भी और अधिक आर्थिक दबाव भी है। भारत में प्रति 93 मिनट में एक महिला दहेज से जुड़ी समस्याओं के कारण मृत्यु को गले लगाती है। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में इस उद्देश्य से लागू किया गया कि यदि लड़की नाबालिक है अविवाहित है या उसे संतान की आवश्यकता नहीं है या गर्भ में पल रहा शिशु विकलांग, अपंग या शारीरिक मानसिक रूप से स्वास्थ्य नहीं है या गर्भवती माँ को बच्चे के जन्म देने के जान का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में गर्भपात वैध है पर इस अधिनियम से लिंग जाँच को ही विकसित कर दिया और गर्भपातों की बढ़ती संख्या इस लिंग जाँच का परिणाम था। एम्नियोसेटेसिस को भारत में 1975 में लागू किया गया पर बड़ी जल्दी ही यह कन्या भ्रूण हत्या की तकनीक के रूप में विकसित हो गया। इसी प्रकार अल्ट्रासांउड भी नई तकनीक के रूप में सामने आया। अल्ट्रासांउड तकनीक की माँग धीरे–धीरे इतनी बढ़ गई कि बड़ी जल्दी यह भारत में उन लोगों तक पहुँच गया जिसे इंटीरियर या रिमोट ऐरिया कहा जाता है। भारत में कन्या भ्रूण के बढ़ने के पीछे या दोनों तकनीकें उत्तरदायी है। भरत में दुखद बात यह भी है कि जिस महिला का गर्भपात करवाया जाता है उसकी सहमति तक नहीं ली जाती। 90 प्रतिशत मामलों में पितृसत्ता ही गर्भपात के निर्णय लेती है। उस महिला के अभिभावकों एवं डाक्टरों की सांठ–गांठ ने कन्या भ्रूण हत्या को अमानवीय बनाने में प्रचुर योगदान दिया है।
6. 1994 में भारत सरकार ने प्रोहिबिसन ऑफ सेक्स सेलेक्शन एक्ट पारित किया ताकि कन्या भ्रूण हत्याओं पर नियंत्रण पाया जा सके, परन्तु इस अधिनियम के क्रियान्वयन में ही ढिलाई दिखने के कारण 2002 में

'रेगुलेशन एण्ड प्रिवेशन ऑफ मिसयूज एक्ट' लगाया गया, इस एक्ट के तहत केन्द्र में सुपरवाईजरी बोर्ड एवं राज्यों में साक्षात्कारी बोर्ड की स्थापना की गई। सुपरवाईजरी बोर्ड को कन्या भ्रूण हत्या की जाँच करने, निरीक्षण करने तथा एकत्रित करने एवं इस अधिनियम में परिवर्तन करने के अधिकार है। यह किसी भी डाक्टर को मेडिकल परमिट्स रद्द करने, उसे दस हजार रूपये का अर्थदण्ड देने से लेकर तीन वर्ष तक का कारावास दिलाने का कार्य करती है। इस अधिनियम की भी प्रमुख विशेषता यह है कि गर्भवती स्त्री को गर्भपात से पूर्व यह घोषणा पत्र भरना पड़ता है, कि वह इसके लिये व्यक्तिगत रूप से सहमत है। डाक्टरों को भी अनिवार्य है कि वह घोषणा करे कि यदि गर्भपात नहीं किया गया तो गर्भवती माँ के जीवन और पैदा होने वाले बच्चे के जीवन को बड़ा खतरा है और वे गर्भ में पल रहे लिंग की जानकारी सम्बन्धित महिला या उसके अभिभावकों को नहीं बतायेंगे, परन्तु इसके बावजूद एक पुत्र की कामना और कन्या भ्रूण हत्याओं में कमी नहीं आई।

अमेरिका में 1994 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें डॉ0 निथनसन ने एक अल्ट्रासाउंट फिल्म (साइलेंट स्क्रीन) दिखाई, उसमें बताया गया कि 10–12 सप्ताह की कन्या की धड़कन जब 120 की गति में चलती है तब बड़ी चुस्त होती है, लेकिन जैसे ही पहला औजार गर्भाशय की दीवार को छूता है तो बच्ची डर से कांपने लगती है और अपने आप में सिकुड़ने लगती है औजार के स्पर्श करने से पहले ही उसे पता लग जाता है कि हमला होने वाला है वह अपने बचाव के लिये प्रयत्न करती है औजार का पहला हमला कमर और पैर पर होता है। गाजर मूली की भाँति उसे काट दिया जाता है कन्या तड़पने लगती है फिर जब उसकी खोपड़ी को तोड़ा जाता है तो एक मूक चीख के साथ उसका प्राणांत हो जाता है यह दृश्य हृदय को दहला देता है इस निर्मम कृत्य से ऐसा लगता है कि मानों कलियुग की क्रूर हवा से माँ के दिल में करूणा का दरिया सूख गया है तभी तो दिन–प्रतिदिन कन्या भ्रूण हत्याओं की संख्या बढ़ रही है। यह भ्रूण हत्या का सिलसिला इसी रूप में चलता रहा तो भारतीय जनगणना में कन्याओं की घटती संख्या से भारी असंतुलन पैदा हो जाऐगा।

माँ के गर्भ में पल रही कन्या की जब हत्या की जाती है तब वह बचने के कितने जतन करती होगी यह माँ से बेहतर कोई नहीं जानता, गर्भ में 'माँ मुझे बचा लो' की चीख कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है अमेरिकी पोट्रेट फिल्म एजुकेशन प्रजेटेशन ''The Silent Scream'' एक ऐसी फिल्म है जिसमें गर्भपात की कहानी को दर्शाया गया है कि किस तरह गर्भपात के दौरान भ्रूण स्वयं के बचाव का प्रयास करता हे। गर्भ में हो रही ये भागदौड़ माँ महसूस भी करती है अजन्मा बच्चा हमारी तरफ ही सामान्य इंसान है ऐसे में भ्रूण हत्या एक महापाप है।

बीसवीं सदी में कितनी कन्यायें भ्रूणकाल में जन्म लेने के बाद पाँच, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर की ऐज ग्रुप में मारी गई, इसका कोई प्रमाणिक हिसाब नहीं है। अब सयुक्त राष्ट्र का जेंडरसाईट वाच आँकड़े एकत्रित करने में लगा है और दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो देश चीन और भारत में इसकी शोध की जरूरत भी सर्वाधिक है। कन्या भ्रूण हत्या और कन्या वध सामाजिक 'बर्डन' से जुड़ी कुरीतियाँ केवल शिक्षा से नहीं दूर की जा सकती और न ही कानून बनाकर, इसके लिए दूरगामी नीतियाँ बनानी पड़ेगी।

लैगिंग असमानता का समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव

भारत में स्त्री–पुरुष अनुपात विश्व में सम्भवत् सबसे कम है। यद्यपि 2001 की जनगणना के अनुसार इस अनुपात में समग्र रूप से महिलाओं की संख्या जो पिछली जनगणना में 927 थी, बढ़कर 933 हो गयी तथापि 0–6 वर्ष के आयुवर्ग में लड़कियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। दिल्ली में महिला अनुपात 821 हरियाणा में 861 और पंजाब में 864 है। लड़कियों को जीवन के प्रत्येक चरण में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उपेक्षा भेदभाव तथा असमानता का जीवन जीना पड़ता है। जो थोड़ी बहुत खुश–किस्मत भ्रूण हत्या अथवा बलात्कार का शिकार होने से बच जाती है, उन्हें लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता। लड़कों को तो परिवार में पूरा लाड–प्यार और स्वागत मिलता है, परन्तु लड़कियों को बोझ समझा जाता है।

समाजशास्त्री प्रोफेसर ए.एल. श्रीवास्तव कहते है लिंगानुपात में अन्तर भविष्य में समाज के लिये काफी घातक साबित होगा क्योंकि समाज की रूपरेखा एवं निर्माण की कल्पना लिंगानुपात के सन्तुलन से ही संभव है। यदि हम किसी प्राकृतिक चीज को नष्ट करते है तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। लिंगानुपात में अन्तर महिलाओं के प्रति अपराध की भावना पनप पायेगा।

लिंगानुपात में बढ़ता अन्तर एक भयानक परिवेश को ओर इशारा करती है। हावी होते बाजारवाद, व्यक्तिनिष्ठ जीवन, दहेजरूपी दानव तथा पुत्रलक्षित परम्परा और तकनीक (लिंग परीक्षण) के अविवेकपूर्ण संयोजन ने समाज पर अपना शिकंजा कस लिया है। असंतुलित लिंग अनुपात भविष्य में पुरुषों के विवाह आयु को प्रभावित तो करेगा ही, बहुपति परम्परा बढ़ेगी, जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा ही, महिलाओं के प्रति दैहिक शोषण एवं हिंसा का अनुपात भी बढ़ेगा।

लिंग आधारित हिंसा किसी आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक सीमा से बंधी नहीं होती। लिंग आधारित हिंसा वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता और स्वास्थ्य के लिये खतरा है। दुनिया में हर तीन में से एक महिला के साथ मारमीट की जाती है। उसे अवांछित यौन सम्बन्धों या दुरूपयोग के लिये विवश किया जाता है। लिंग आधारित मानसिक और शारीरिक हिंसा के अनेक रूप है। इनमें घर के भीतर हिंसा बलात्कार महिला जननांग भंग करना। काटना तथा इज्जत के नाम पर दहेज के लिये हत्यायें करना शामिल है। लैंगिक समानता, प्रजनन, स्वास्थ्य और युवा लोगों के विकास में निवेश करने में सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में अल्पकालीन व दीर्घकालीन लाभ देखने को मिलते है।

कई समाज सुधारकों ने यह विचार व्यक्त किया है कि महिला प्रगति के अभाव में समाज की प्रगति असम्भव है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि ''किसी काल में समाज की प्रगति को जानना हो तो उस काल विशेष में महिलाओं की स्थिति पर नजर डालों''। इस दृष्टि से देखा जाये तो भारतीय समाज की स्थिति काफी संकटपूर्ण और भयावह प्रतीत होती है, क्योंकि महिला प्रगति, महिला शक्ति और नारी स्वायतंत्र सभी को अनदेखी करते हुए हमारे समाज में कन्या भ्रूण की हत्या बड़े पैमाने पर की जा रही है।

इंडियन मेडिकल ऐसोसिऐशन का मानना है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख कन्या भ्रूण नष्ट किये जाते है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ0 गिरिजा व्यास ने भी भ्रूण हत्या (2005) की बढ़ती प्रवृत्ति को समाज के लिये चिन्ताजनक बताया है। उनके अनुसार 1981–91 तक के दस वर्षों में एक करोड़ 37 लाख लड़कियाँ कम पैदा हुई।

आंकड़ें इस बात के साक्षी है कि देश में भ्रूण हत्यायें व्यापक स्तर पर हो रही है, जो निश्चय ही आने वाले समय में विकट सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न करेगी। कन्या भ्रूण हत्या से जहाँ समाज में स्त्री–पुरुष अनुपात चिन्ताजनक होती जा रही है वही बलात्कार, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य यौन सम्बन्ध, वैज्ञानिक उपकरण एवं साधनों का दुरूपयोग, चिकित्सकों की अनैतिक संलिप्तता जैसी कुरिसत प्रवृत्तियाँ भी निरन्तर बढ़ती जा रही है, जिसे वर्तमान आधुनिक एवं सभ्य समाज के लिये एक अभिशाप कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

तालिका – 1

जनगणना	स्त्री–पुरुष अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलायें)
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	935

तालिका से स्पष्ट है कि सन् 2001 में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। सन् 2001 में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 है, जबकि सन् 1991 में प्रति हजार पुरुषों पर 927 महिलायें ही थी।

तालिका – 2

राज्यवार स्त्री–पुरुष अनुपात (2001)

क्र. सं.	राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलायें)
1	केरल	1058
2	पांडिचेरी	1001
3	छत्तीसगढ़	989
4	तमिलनाडु	987
5	मणिपुर	978
6	आन्ध्र प्रदेश	978
7	उड़ीसा	972
8	मेघालय	972
9	हिमाचल प्रदेश	968
10	कर्नाटक	965
11	उत्तरांचल	962
12	गोवा	961
13	लक्ष्यद्वीप	948
14	त्रिपुरा	948
15	झारखण्ड	941
16	मिजोरम	935
17	असम	935
18	प0 बंगाल	934
19	महाराष्ट्र	922
20	राजस्थान	921
21	गुजरात	920
22	मध्य प्रदेश	919
23	बिहार	919
24	नागालैण्ड	900
25	उत्तर प्रदेश	893
26	अरूणाचल प्रदेश	893
27	जम्मू–कश्मीर	892
28	पंजाब	876
29	सिक्किम	876
30	हरियाणा	861
31	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	846
32	दिल्ली	821
33	दादरा नगर हवेली	812
34	चण्डीगढ़	777
35	दमन एव दीव	710

तालिका से स्पष्ट होता है कि देश के अपेक्षाकृत समूह प0 राज्यों, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में जहाँ आर्थिक विकास दर साक्षरता दर आदि पूर्वी राज्यों की तुलना में अधिक है वहाँ लिंग अनुपात में भारी गिरावट आयी है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्य जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत समृद्ध है।

देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने महात्मा गांधी की 138वीं जयन्ती के मौके पर केन्द्रीय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बालिका बचाओं योजना (सेव द गर्ल चाइल्ड) को लांच किया था। राष्ट्रपति ने इस बात पर अफसोस जताया था कि लड़कियों को लड़कों के समान महत्व नहीं मिलता। इन्द्रिरा गांधी–बालिका सुरक्षा योजना के तहत पहली कन्या के जन्म के बाद स्थायी परिवार नियोजन अपनाने वाले माता–पिता को 25 हजार रूपये तथा दूसरी कन्या के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने वाले माता–पिता को 20 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जा रही है।

उद्देश्य

मेरे इस शोधपत्र का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जो कि एक सामाजिक अपराध है के विषय में समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। साथ ही लड़कियों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार का लिंगानुपात पर, इस लैंगिक असमानता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी चर्चा करना है।

निष्कर्ष

सरकार ने भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए कानून बनाये जिससे बालिकाओं के जन्म के लिये प्रोत्साहित किया लेकिन कानून तब तक कारगर नहीं होता जब तक कि उसे जनता का सहयोग न मिले। जनता के सहयोग से ही किसी अपराध को रोका जा सकता है। कन्या भ्रूण हत्या ऐसा अपराध है जिसमें परिवार के, समाज के लोगों की भागीदारी होती है, इसलिये जागरूक नागरिक ही इस कुकुत्य को समाप्त करने में विशेष भूमिका निभा सकते है।

भारत में तेजी से गिरते हुए लिंग अनुपात के पीछे कई धारणायें हैं जैसे कि यदि लड़की पैदा होती है तो वह घर के छप्पर को भी ले जाती है, गलत है। विवाह में होने वाला खर्च, दहेज देना, शाही के बाद समय–समय पर ससुराल वालों द्वारा पैसे की मांग आदि समाज में फैली ये प्रथायें लोगों को बेटी के बजाये बेटा पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। अगर धीरे–धीरे यही सिलसिला चलता रहा तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त मनुष्य के लिंग निर्धारण में असंतुलन आ जायेगा और इसका परिणाम यह होगा कि मानव जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *रजिस्टार जनरल ऑफ इण्डिया।*
2. *पामेल फिजियोज : फीमेल वर्सेज गर्ल्स : इंडियन एक्सप्रेस अप्रैल, 2008*
3. *एस.के. ओझा : जनसंख्या एवं नगरीकरण, परीक्षा वाणी–2011 बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद*
4. *भ्रूण हत्या : एक सामाजिक अभिशाप, रविशंकर जमुआर और खालिद अहमद, कुरूक्षेत्र, नवम्बर, 2005*
5. *लिंग निर्धारण : गुम होती कन्यायें, मनीषा, कुरूक्षेत्र, नवम्बर, 2005*
6. *महिला सशक्तिकरण, डॉ0 राम लक्षण विधार्थी, समाज कल्याण, मार्च, 2003*
7. *डॉ0 प्रतिभा : भारत में कन्या भ्रूण हत्या : एक सामाजिक अभिशाप : समाज वैज्ञानिक*